नीमलाल बनाम कमल कुमार वगै0

अपील संख्या : 2023/147

04.08.2023	विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ओमप्रकाश प्रजापति की ओर यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 52/2020 प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश दिनांक 25.08.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अंतरिम स्थगन हेतु सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे स्थगन प्रार्थना–पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2020 जिसका जवाब अपीलांट द्वारा दिनांक 27.11.2020 को प्रस्तुत कर देने के बावजूद भी लगभग 40 पेशियों तक उस बहस सुनकर कोई कन्फर्म निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नहीं करने से व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दिनांक 10.07.2020 को अपीलांट को बेदखल करने आ गया और कहा कि मेने तो स्टे ले रखा है, जमीन पर मैं कब्जा करूंगा। तथा बैंकर द्वारा कोई के.सी.सी. ऋण आदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में नहीं देने तथा अपीलांट को बेदखल किये जाने का आदेश नहीं होने पर भी एकतरफा आदेश का दुरूपयोग कर अपीलांट को बेदखल करने की कोशिश करने पर तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व अपीलांट के अधिवक्ता की बार–बार निवेदन बहस सुनकर प्रकरण का फाईनल आदेश करने का व माननीय अधीनस्थ न्यायालय को एकतरफा आदेश खिलाफ कानून व गैर कूननी होने से निरस्त करने की प्रार्थना करने पर भी अपीलांट की सुनवाई नहीं करने पर दिनांक 11.07.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अविलम्ब दिनांक 11.07.2023 को ही नकल अपीलांट को दिये जाने पर खर्चे का इन्तजाम कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का दुरूपयोग किये जाने पर तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई नहीं किये जाने के कारण दिनांक 10.07.2023 की अवधि डिले कण्डोन की जाकर अपील को अवधि मध्य स्वीकार फरमाया जावे। अपीलांट लगातार अपने हक व अधिकारों के

लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संघर्ष करता रहा है। अपने प्रयासो में अपीलांट विफल होने तथा अपीलांट के साथ अपीलाधीन गैर कानूनी आदेश से अपनी भूमि से बेदखल हो जाने की स्थिति में आ जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की आड में प्रतिवादीगण उक्त भूमि को बेचान कर खुर्द–बुर्द कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना असम्भव होगा। अपीलाधीन निर्णय की आड में रेस्पोडेन्टगण विवादित भूमि को रहन बेचान कर खुर्द–बुर्द व प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है, जिसे न्यायहित मे अन्तरिम रूप से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की कियान्विती को रोका जाना आवश्यक है। अन्त मे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की कियान्विती अन्तरिम रूप से स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.08.2020 का है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.08.2020 में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट सख्या 1 की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अप्रार्थी अपीलांट व अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध विवादित भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2020 अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की प्रकृति का है। हमारे समक्ष अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की सत्यप्रति से प्रकट होता है कि अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 27.11.2020 को जवाब प्रार्थन–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। पत्रावली दिनांक 07.11.2022 को बहस की स्टेज पर आ चुकी है। हमारे समक्ष अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को सी.पी.सी. के प्रावधानों के प्रकाश में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अंतिम रूप से निस्तारण करना चाहिए। हालांकि इस स्टेज पर हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25.08.2020 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते परन्तु प्रकरण की परिस्थितियों को संज्ञान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाना उचित समझते है कि अधीनस्थ न्यायालय 60 दिवस में उभयपक्षकारान को सुनकर नियमानुसार गुणावगुण पर लम्बित प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अंतिम रूप से निस्तारण करे।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्तर पर निर्णित की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश के संज्ञान में आने पर 60 दिवस में उभयपक्षकारान को सुनकर नियमानुसार गुणावगुण पर लम्बित प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अंतिम रूप से निस्तारण करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश की सत्यप्रति अधीनस्थ न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित की जावे। आदेश आज दिनांक 04.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा